डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. भौती देवी पत्नि किशोरीलाल
2. लखन लाल पुत्र किशोरीलाल
3. प्रकाश पुत्र किशोरीलाल
4. राजकुमार पुत्र किशोरीलाल

समस्त जातियान मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र किशोरीलाल
2. शिवसहाय पुत्र किशोरीलाल
3. दयाराम पुत्र किशोरीलाल
4. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
6. नायब तहसीलदार बालघाट।
7. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 61/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री विष्णु कंटक एडवोकेट व .... मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है। कि

अतः ग्राम शेखपुरा की आराजी ख0न0 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 मे किशोरीलाल पुत्र श्योनारायण के स्थान पर किशोरीलाल पुत्र श्री श्रीनारायण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम शेखपुरा की आराजी ख0न0 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 मे बैक रहन का अंकन हजफ करने के आदेश दिए जाते है।

निज.....................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.09.2019 को जारी की गई।

दस्तखत.....24/9/19.....

ओहदा.............................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 61/19 तारीख रजू:– 01.7.19

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. भौती देवी पत्नि किशोरीलाल
2. लखन लाल पुत्र किशोरीलाल
3. प्रकाश पुत्र किशोरीलाल
4. राजकुमार पुत्र किशोरीलाल
   समस्त जातियान मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र किशोरीलाल
2. शिवसहाय पुत्र किशोरीलाल
3. दयाराम पुत्र किशोरीलाल
4. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
6. नायब तहसीलदार बालघाट।
7. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थितिः– श्री विष्णु कुमार कंटक एडवोकेट (वादी)

निर्णय दिनांकः– 24.09.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम शेखपुरा की आराजी ख0न0 1629, 1630/1 किता 2 रकवा 1बीधा 9 बिस्वा जो कि ग्यारसा पुत्र मंगल जाति मीना निवासी शेखपुरा के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी। जिसे मूल खातेदार ग्यारसा ने दिनांक 03.06.1987 को मुबलिग 7000/– मे जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र वादीगण के पिता किशोरीलाल पुत्र श्रीनारायण को विक्रय कर दिया। साबिक ख0न0 1629, 1630 रकवा 1 बीधा 9 बिस्वा के सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन ख0न0 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 0.37 है0 कायम किये गये है। वादीगण के पिता द्वारा मूल खातेदार ग्यारसा से रजिस्टर्ड क्रय की गई आराजी का नामांतकरण संख्या 11 तारीखी 06.07.1987 तस्दीक किया गया जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2043–2062 मे वादीगण के पिता का नाम रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप मे दर्ज हो गया जो उक्त जमाबन्दी मे स्पष्ट दर्ज है। सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने प्रतिवादीगण के पिता से साजकर लापरवाही से उक्त आराजी की खातेदारी मे वादीगण के बाबा श्रीनारायण के स्थान पर श्योनारायण दर्ज कर दिया अर्थात वादीगण के पिता किशोरीलाल पुत्र श्रीनारायण के स्थान पर किशोरीलाल पुत्र श्योनारायण दर्ज कर दिया जो कि गलत है क्योकि किशोरीलाल पुत्र श्योनारायण अलग व्यक्ति था।

वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। एवं प्रतिवादीगण के पिता का भी स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण के पिता के तर्के पर वादीगण काबिज काश्त है तथा वादीगण के पिता के जायज मुकाम वारिसान है। तथा प्रतिवादीगण के पिता के प्रतिवादीगण जायज कायम मुकाम वारिसान है। प्रतिवादीगण के पिता के प्रतिवादीगण जायज कायम मुकाम वारिसान है। प्रतिवादीगण के पिता ने वादीगण के पिता की उक्त आराजी चालाकी से स्वंय

के नाम कराकर वादीगण के हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 4 के यहाँ अपनी खातेदारी की अन्य भूमि के साथ रहन रखकर ऋण भी ले लिया है

घटना दिनांक 20.06.2019 को सुबह करीब 9 बजे की है कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 03 वादीगण की कब्जेकाश्त की आराजी पर आ गये। और वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि तुम इस भूमि पर आना छोड दो यह जमीन हमारे पिता ने सेटलमेन्ट कर्मचारियो से साज कर ऋण ले लिया है अब हम उक्त जमीन को रहन मुक्त करवाकर दीगर व्यक्तियो को रहन व्यय कर देगे। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी न0 1 ता 3 से निवेदन किया कि यह जमीन तो हमारे पिता ने खातेदार ग्यारसा जरिये रजिस्टर्ड क्रय की है और क्रय करने के दिन से ही हमारे पिता के जमाने से ही हमारा कब्जा काश्त है।

वादीगण ने हल्का पटवारी से मिलकर उक्त आराजी की जमाबन्दी निकलवायी तब जाकर वादीगण को रिकार्ड मे प्रतिवादीगण द्वारा की गयी हेराफेरी का पता चला तब वादीगण ने प्रतिवादीगण से तहसील मे चलकर उक्त गलती को सही करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया जिस पर वादीगण ने ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियो के द्वारा प्रतिवादीगण से समझाईश की लेकिन प्रतिवादीगण अपनी अड पर अडे रहे। जिसके पश्चात वादीगण ने तहसीलदार टोडाभीम से सम्पर्क किया जो दुरूस्त करने से इन्कार कर न्यायालय मे कार्यवाही करने के लिये कहा जिस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर आराजीयात मुतज़्किा मद नम्बर 02 वादपत्र मे दर्ज हाल खसरा न0 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 0.37 है0 ग्राम शेखपुरा मे वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण नम्बर 04 के रहन के इन्द्राज को हजफ किया जावे। तथा प्रतिवादी न0 5 व 6 का आदेशित किया जावे कि आराजी मे खातेदारी के कालम मे से प्रतिवादीगण के पिता किशोरीलाल पुत्र श्योनारायण का नाम व रहन का इन्द्राज हजफ कर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर जरिए सम्मन प्रतिवादी गण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1,2,3, की और से श्री मनोज कुमार शर्मा उपस्थित हुए प्रतिवादी न0 4,5,6,7 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही गई। प्रतिवादी न0 1,2,3, ने दिनांक 13.8.2019 को जबाब व वकालतनाना पेश करने हेतु समय चाहा। प्रतिवादी न0 1,2,3, और उनके वकील दिनांक 24.9.19 को उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादी वकील ने सीधे बहस करते हुए कथन किया कि यह दावा मुख्यतः नाम दुरूस्ती का है। घोषणा खातेदारी की रिलीफ वापिस लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार किया गया। वादी वकील ने अपनी बहस मे वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया कि ग्राम शेखपुरा की आराजी ख0न0 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 0.37 है0 मे किशोरी लाल पुत्र श्योनारायण के स्थान पर किशोरी लाल पुत्र श्रीनारायण दर्ज होना चाहिए। दौराने बहस घारा 6 (1) अधीन घोषणा प्रस्तुत की है जो कि दिनांक 24.5.2011 को उप पंजीयक कार्यालय टोडाभीम मे पंजीबद्व है के अनुसार किशोरी पुत्र श्योनारायण ख0न0 647/0.14, 650/0.11, 2312/0.06, 2313/0.04 मे हिस्सा 1/4, 2330/2862/0.02, 2613/0.05, 2614/0.07, 2620/0.06 मे हिस्सा 1/4, 383/0.19, 526/0.11, 527/0.10, 591/0.20, 1395/0.34, 1911/0.11, 1942/0.09, 2346/0.03, 2554/2723/0.03, 2555/0.07 का 1/3, 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05, 2527/0.10, 2529/0.05 का सम्पूर्ण हिस्सा, 347/0.33, 1293/0.71, 1294/0.29 का सम्पूर्ण हिस्सा बैक ऑफ बडौदा बालघाट मे रहन

दर्ज रिकार्ड है। जिसमे से ख0न0 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 हिस्सा सम्पूर्ण रहन मुक्त किया जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी न0 1 के पति व वादी न0 2 ता 4 के पिता किशोरीलाल पुत्र श्रीनारायण ने पूर्व खातेदार ग्यारसा पुत्र मंगल जाति मीना से ग्राम शेखपुरा तहसील टोडाभीम स्थित भूमि आराजी ख0न0 1629/1630/1 रकवा 1 बीधा 9 बिस्वा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1987 को क्रय की है। सहायक भू–प्रबन्ध एवं भू0अ0 अधिकारी टोडाभीम मुख्यालय हिण्डौन द्वारा नामांतकरण संख्या 11 दिनाक 14.8.87 से क्रय भूमि का इन्द्राज किशोरीलाल पुत्र श्रीनारायण के नाम स्वीकार हुआ है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार साबिक ख0न0 1629/1630/1 रकवा 1 बीधा 9 बिस्वा से ख0न0 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 कायम किए है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार ग्राम शेखपुरा की आधार वर्ष सम्वत 2043–62 की जमाबन्दी के खाता संख्या 25 मे किशोरीलाल पुत्र श्रीनारायण जाति मीना के नाम खातेदारी दर्ज की है। ग्राम शेखपुरा जमाबन्दी सम्वत 2062–65 तैयार करते समय किशोरी लाल पुत्र श्योनारायण जाति मीना के खाता संख्या 37 मे ख0न0 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 को उसके ख0न0 2527/0.10, 2529/0.05 के साथ दर्ज कर दिया है। वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 50 मे भी इसी अनुरूप दर्ज है। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत धारा 6(1) के अधीन घोषणा किशोरी पुत्र श्योनारायण की खातेदारी के अन्य खसरा नम्बरान ख0न0 647/0.14, 650/0.11, 2312/0.06, 2313/0.04 मे हिस्सा 1/4, 2330/2862/0.02, 2613/0.05, 2614/0.07, 2620/0.06 मे हिस्सा 1/4, 383/0.19, 526/0.11, 527/0.10, 591/0.20, 1395/0.34, 1911/0.11, 1942/0.09, 2346/0.03, 2554/2723/0.03, 2555/0.07 का 1/3, 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05, 2527/0.10, 2529/0.05 का सम्पूर्ण हिस्सा, 347/0.33, 1293/0.71, 1294/0.29 का सम्पूर्ण हिस्सा बैक ऑफ बडौदा बालघाट मे रहन दर्ज रिकार्ड है। वादी के तीन खसरा नम्बरान 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 बैक रहन से मुक्त होने से बैक के हक पर कोई विपरित प्रभाव नही होगा।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है वादी न0 1 के पति व वादी न0 2 ता 4 के पिता किशोरीलाल पुत्र श्रीनारायण ने पूर्व खातेदार ग्यारसा पुत्र मंगल जाति मीना से ग्राम शेखपुरा तहसील टोडाभीम स्थित भूमि आराजी ख0न0 1629/1630/1 रकवा 1 बीधा 9 बिस्वा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1987 को क्रय की है। जिससे नवीन हाल ख0न0 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 कायम हुये है। अधार वर्ष 2043–62 मे खातेदारी किशोरी लाल पुत्र श्रीनारायण के नाम दर्ज है। लेकिन सम्वत 2062–65 की जमाबन्दी तैयार करते समय उक्त आराजीयात किशोरीलाल पुत्र श्योनारायण के खाता संख्या 37 मे दर्ज कर दिया है। जिसे शुद्व किया जाना न्यायोचित है। अतः ग्राम शेखपुरा की आराजी ख0न0 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 मे किशोरीलाल पुत्र श्योनारायण के स्थान पर किशोरीलाल पुत्र श्री श्रीनारायण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम शेखपुरा की आराजी ख0न0 2414/0.28, 2508/2731/0.04, 2509/2732/0.05 मे बैक रहन का अंकन हजफ करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

24/9/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली